तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No. 77/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
16.01.2025	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी नाथाराम चौधरी पुत्र श्री लादाराम चौधरी, निवासी– चक्की वाली, गली, ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म राजेश्वर किराणा स्टोर, महादेव मन्दिर के पास, ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरूद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 02.9.2021 को फर्म राजेश्वर किराणा स्टोर, महादेव मन्दिर के पास, ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी नाथाराम चौधरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) का नमूना संख्या S-1482 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./557/Act/2021/655 दिनांक 03.9.2021 में अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 15.01.2025 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादी पर अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) के विक्रय हेतु अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया। जबकि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 02.9.2021 को समय 11–00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म राजेश्वर किराणा स्टोर, महादेव मन्दिर के सामने, ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी नाथराम चौधरी पुत्र श्री लादाराम चौधरी, निवासी– चक्की वाली गली, ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जन को खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) का विक्रय करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच .....लगातार	

न्यायालय प्रात० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रात. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 77/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता नाथराम चौधरी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) के 14 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक एक लीटर) में से Mustard oil (Brand Balaji) के 4 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक एक लीटर) को वास्ते नमूना जांच क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 760/– (अक्षरे रुपये सात सौ साठ मात्र) प्रतिवादी नाथाराम चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1482, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) का नाम आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता, उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) की क्रयशुदा चारों पैक्ड बोतालें पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1482 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, उक्त गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.9.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्रीमती भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 02.9.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म राजेश्वर किराणा स्टोर, ...लगातार	

न्यायालय प्रात० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 77/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

महादेव मन्दिर के पास, ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता नाथाराम चौधरी से खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) के नमूना संख्या S-1482 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./557/Act/ 2021/655 दिनांक 03.9.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) का नमूना अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में, यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी कल्पेश कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को Mustard oil (Brand Balaji) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है एवं न ही इस न्यायालय में बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि नाथाराम चौधरी पुत्र श्री लादाराम चौधरी, निवासी– चक्की वाली गली, ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म राजेश्वर किराणा स्टोर, महादेव मन्दिर के पास, ओड़ा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत अमानक (sub-standard) मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Mustard oil (Brand Balaji) के विक्रय हेतु नाथाराम चौधरी पुत्र श्री लादाराम चौधरी, निवासी– चक्की वाली गली, ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म राजेश्वर किराणा स्टोर, महादेव मन्दिर के पास, ओड़ा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी नाथाराम चौधरी को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.2.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)